प्रेस विज्ञप्ति

बैंकिंग व गैर–बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके अनुश्रवण हेतु होगा अलग निदेशालय का गठन

–सुशील कुमार मोदी

01 दिसम्बर, 2018

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 66 वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सुखाग्रस्त प्रखण्डों में प्रधानमंत्री जन–धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रू0 तक ऋण उपलब्ध कराने एवं CD Ratio व Annual Credit Plan (ACP) में बेहतर कार्य करनेवाले बैंक शाखाओं की रैंकिंग करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व गैर–बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके अनुश्रवण हेतु अलग निदेशालय का गठन किया जायेगा।

श्री मोदी ने बिहार के 275 सुखाग्रस्त प्रखण्डों के प्रधानमंत्री जन–धन योजना के खाताधारियों को 10 हजार रूपये तक ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इस योजना के तहत बिहार में 3 करोड. 21 लाख खाते सक्रिय हैं तथा इनमें 6748 करोड़ रूपये जमा हैं।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय एवं उनके बेहतर अनुश्रवण हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत सांस्थिक वित्त निदेशालय का गठन किया जायेगा जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने बैंकों की शाखाओं के क्रियाकलापों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करने का निदेश देते हुए कहा कि CD Ratio व ACP संबंधी कार्यों में अच्छा एवं खराब प्रदर्शन करने वाले सौ–सौ बैंक शाखाओं की रैंकिंग कर इसे सार्वजनिक किया जायेगा।

श्री मोदी ने कहा कि राज्य में 1100 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है जहाँ बैंकों की शाखायें खोली जा सकती हैं। बिहार में 17,141 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं तथा 5000 से अधिक आबादी वाले 209 गाँवों में बैंक की शाखायें अथवा ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जायेंगे।

उन्होंने कहा कि डेयरी, पॉल्ट्री एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को कृषि ऋण की तरह 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करायी जानी चाहिए एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह मॉरगेज करने की सीमा को 1 लाख रूपये से 3 लाख रूपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम एवं 59 मिनट मे ऋण योजना के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने को भी कहा।

बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, सहकारिता मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह, राज्य सरकार एवं विभिन्न बैंकों के वरीय पदाधिकारी गण एवं अन्य लोग उपस्थित थे।